No. W-02/0039/2017-DPE (WC)- GL-XXIII/17
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises

.....

Public Enterprises Bhawan
Block 14, CGO Complex,
Lodi Road, New Delhi-110003
Dated: 6th October, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Board level and below Board level posts including non-unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises (CPSEs)- Revision of scales of pay w.e.f. 01.01.2017 – Payment of IDA at revised rates-regarding.

*****

The undersigned is directed to refer to the **Para 7** and **Annexure-III (B)** of DPE's OM dated 03.08.2017 wherein the rates of DA payable to the Board level and below Board level executives and non-unionized supervisors of CPSEs have been indicated. The next instalment for revision of rates of DA is due from 01.10.2017. Accordingly, the rate of DA payable to the executives and non-unionized supervisors of CPSEs is as follows:

(a) Date from which payable: *01.10.2017*

(b) Average AICPI (2001=100) for the quarter June'2017 – August' 2017

June, 2017	280
July, 2017	285
August, 2017	285
Average of the quarter	*283.33*

(c) Link Point: **277.33** (as on 01.01.2017)
(d) Increase over link point: 6 (283.33 minus 277.33)
(e) DA Rate w.e.f. 01.10.2017: ***2.2%*** [(6 ÷277.33) x 100]

2. The above rate of DA i.e. 2.2% would be applicable in the case of IDA employees who have been allowed revised pay scales (2017) as per DPE O.M. dated 03.08.2017, 04.08.2017 & 07.09.2017.

3. All administrative Ministries/ Departments of the Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for necessary action at their end.

Shaque
(Samsul Haque)
Under Secretary

To,

All the administrative Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:

1. Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
2. Financial Advisers in the Administrative Ministries/ Departments.
3. Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi.
4. The Comptroller & Auditor General of India, 9, Deen Dayal Upadhayay Marg, New Delhi.
5. NIC, DPE with the request to upload this OM on the DPE website.

Shaque
(Samsul Haque)
Under Secretary

E 33943/2017/A&I
8-11-17

JS(BJM) OT DS(AK)

सं. डब्ल्यू 02/0039/2017-लोउवि(मजूरी कक्ष)- जी. एल. XXII/17

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक : 06 अक्तूबर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.2017 से संशोधन-संशोधित दरों पर औद्योगिक महंगाई भत्ते का भुगतान।

*****

अधोहस्ताक्षरी को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03.08.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 तथा अनुबंध- III (ख) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल स्तर तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरें दी गई हैं। महंगाई की दरों में संशोधन की अगलीकिश्त दिनांक 01.10.2007 से देय है। तदनुसार, केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को महुगाई भत्ते की दरें निम्नलिखित रुप से देय हैं :

(क) जिस तारीख से देय है : 01.10.2017

(ख) जून, 2017- अगस्त, 2017 तिमाही का औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001 =100)

जून, 2017	280
जुलाई, 2017	285
अगस्त, 2017	285
तिमाही का औसत	283.33

(ग) मूल्य सूचकांक: 277.33 (दिनांक 01.01.2007 को)

(घ) मूल्य सूचकांक की तुलना में वृद्धि अंक : 6 (283.33-277.33)

(ड.) दिनांक 01-10-2017 से संशोधित महंगाई भत्ता दर: 2.2% [(6 + 277.33) X 100]

2. उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की उपर्युक्त दर अर्थात 2.2% औद्योगिक महंगाई भत्ता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी जिनके मामले में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03-08-2017, 04.08.2017 तथा 07.09.2017के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान (2017) की स्वीकृति दी गई है।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में लाएं।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,
भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।
प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव

F. No. W-02/0004/2014-DPE (WC) -GL-XXI/17
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises

Public Enterprises Bhawan
Block 14, CGO Complex,
Lodi Road, New Delhi-110003
Dated: 5th October, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Board level posts and below Board level posts including Non-unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises (CPSEs)- Revision of scales of pay w.e.f. 01.01.1997 – Payment of IDA at revised rates regarding.

*****

In modification of this Department's O.M. of even No. dated 04.07.2017, the rate of DA payable to the executives of CPSEs (1997 pay revision) is as follows:

a) **Date from which payable:** 01.10.2017

b) **Average AICPI (1960=100) for the quarter June '2017 – August' 2017**

June, 2017	6389
July, 2017	6508
August, 2017	6508
Average of the quarter	6468

c) **Link Point** : 1708 (as on 01.01.1997)

d) **Increase over link point:** 4760 (6468-1708)

e) **Revised DA Rate w.e.f. 01.10.2017:** 278.7% [(4760÷1708) x 100]

2. These rates are applicable in the case of IDA employees, whose pay have been revised with effect from 01.01.1997 as per DPE O.M. dated 25.06.1999.

3. All Administrative Ministries/Departments of the Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for necessary action at their end.

(Samsul Haque)
Under Secretary

To: All the administrative Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:

1 .Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
2 .Financial Advisers in the Administrative Ministries/ Departments.
3 .Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi
4.The Comptroller & Auditor General of India, 9, Deen Dayal Upadhayay Marg, New Delhi
5.NIC, DPE with the request to upload this OM on the DPE website.

(Samsul Haque)
Under Secretary

सं. डब्ल्यू 02/0004/2014-लोउवि(मजूरी कक्ष)- जी एल - XXI/17

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक: 05 अक्तूबर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.1997 से संशोधन-संशोधित दरों पर औद्योगिक महंगाई भत्ते का भुगतान।

इस विभाग के दिनांक 04.07.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों को देय महंगाई भत्ते की दरें (1997 का वेतन संशोधन) निम्नप्रकारेण कर दी जाएं:

(क) जिस तारीख से देय है 01.10.2017

(ख) जून, 2017-अगस्त, 2017 तिमाही का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100)

जून, 2017	6389
जुलाई, 2017	6508
अगस्त, 2017	6508
तिमाही का औसत	6468

(ग) मूल्य सूचकांक: 1708 (दिनांक 01-01-1997 को)

(घ) मूल्य सूचकांक की तुलना में वृद्धि अंक : 4760 अंक (6468 -1708)

(ड.) दिनांक 01-10-2017 से संशोधित महंगाई भत्ता दर: 278.7% [(4760 ÷ 1708) X 100]

2. महंगाई भत्ते की ये दरें औद्योगिक महंगाई भत्ता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी, जिनके वेतन लोक उद्यम विभाग के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.1997 से संशोधित कर दिए गए हैं।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में लाएं।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव

No. 2(42)/97-DPE (WC)-GL-XVII/17
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises

.....

Public Enterprises Bhawan,
Block 14, CGO Complex, Lodi Road,
New Delhi-110003,
Date 03rd October, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Payment of DA to the CDA pattern employees of CPSEs governed by HPPC recommendations.

The undersigned is directed to refer to Para No. 2 and Annexure-III to this Department's O.M. dated 24.10.1997 wherein the rates of DA payable to the employees of CPSEs following CDA pattern pay scales, who are governed by HPPC recommendations had been indicated.

2. In continuation of this Department's OM of even number dated 19.04.2017, the rates of Dearness Allowance payable to the employees of CPSEs governed by the recommendations of HPPC, which have **not** revised their pay scales in terms of DPE O.M. No. 2(54)/2008-DPE(WC) dated 14.10.2008 may be as follows:-

a) In case of CPSEs who have **not** allowed the benefit of merger of 50% of DA with basic pay as contained in DPE O.M. dated 24.05.2005 to their employees, the DA payable may be enhanced from existing rate of **314% to 318%** w.e.f. 01.07.2017.

b) In case of CPSEs who have allowed the benefit of merger of 50% of DA with basic pay as contained in DPE O.M. dated 24.05.2005 to their employees, the DA payable may be enhanced from existing rate of **264% to 268%** w.e.f. 01.07.2017.

3. The payment of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

4. All administrative Ministries/Department of Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the Central Public Sector Enterprises under their administrative control for action at their end.

(Samsul Haque)
Under Secretary

To

All administrative Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:

1. The Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
2. The Comptroller & Auditor General of India, 9 Dean Dayal Upadhayay Marg, New Delhi.
3. Financial Advisers in the Administrative Ministries.
4. Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi.
5. NIC, DPE.

(Samsul Haque)
Under Secretary

संख्या 2(42)1997-लोउवि(मजूरी कक्ष)-जी.एल.-XVIII/2017

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

****

लोक उद्योग भवन,

ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,

लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110 003

दिनांक : 03 अक्तूबर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की अनुशंसाओं द्वारा शासित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान।

****

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 24 अक्तूबर, 1997 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 तथा अनुबन्ध-III का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न का अनुसरण करने वाले कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरें जो उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति द्वारा शासित होती है, का उल्लेख किया गया था।

2. इस विभाग के दिनांक 19.04.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम में उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की अनुशंसाओं द्वारा शासित सरकारी उद्यमों, जिन्होने लोक उद्यम विभाग के दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(54)/2008-लोउवि (मजूरी कक्ष) के सन्दर्भ में अपने वेतनमानों में संशोधन नहीं किया है, के कर्मचारियों को 01.01.2016 से देय महंगाई भत्ते की दरें निम्न प्रकार होंगी :-

(क) सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने अपने कर्मचारियों को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 24.05.2005 के कार्यालय ज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते के विलय का लाभ की अनुमति नहीं दी है, उनमें देय मंहगाई भत्ते की दर वर्तमान 314% से बढ़कर 318% हो जाएगी।

(ख) सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने अपने कर्मचारियों को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 24.05.2005 के कार्यालय ज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते के विलय का लाभ की अनुमति दी है, उनमें देय मंहगाई भत्ते की दर वर्तमान 264% से बढ़कर 268% हो जाएगी।

3. महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में शामिल 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए और 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।

4. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्राणाधीन सरकारी उद्यमों के ध्यान में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए ला देने का अनुरोध किया जाता है।

(समसुल हक)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।
4. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस कार्यालय ज्ञापन को डीपीई की वेबसाइट पर डालने हेतु।

(समसुल हक)

अवर सचिव, भारत सरकार

F. No. 2(54)/08-DPE (WC)-GL-XVII/17
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises

.....

Public Enterprises Bhawan,
Block 14, CGO Complex, Lodi Road,
New Delhi-110003,
Date 03rd October, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Payment of DA to the CDA pattern employees of CPSEs governed by HPPC recommendations w.e.f. 01.07.2017.

The undersigned is directed to refer to Para No. 2 and Annexure-III to this Department's O.M. dated 14.10.2008 wherein the rates of DA payable to the employees who are following CDA pattern pay scales had been indicated.

2. The DA payable to the employees may be enhanced from the existing rate of 136% to 139% with effect from 01.07.2017.

3. The payment of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

4. These rates are applicable in the case of CDA employees whose pay have been revised with effect from 01.01.2006 as per DPE O.M. dated 14.10.2008.

5. All administrative Ministries/Departments of Government of India are requested to bring this to the notice of Central Public Sector Enterprises under their administrative control for action at their end.

(Samsul Haque)
Under Secretary

To

All administrative Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:

1. The Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
2. The Comptroller & Auditor General of India, 9 Dean Dayal Upadhayay Marg, New Delhi.
3. Financial Advisers in the Administrative Ministries.
4. Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi.
5. NIC, DPE.

(Samsul Haque)
Under Secretary

सख्या 2(54)/08-लोउवि(मजूरी कक्ष)-जी. एल.-XVII/17

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक 03 अक्तूबर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की अनुशंसाओं द्वारा शासित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न वाले कर्मचारियों को 01.07.2017 से महंगाई भत्ते का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 तथा अनुबन्ध-III का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न का अनुसरण करने वाले कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है।

2. दिनांक 01.07.2017 से कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर मौजूदा 136% से बढ़ाकर 139% कर दी जाए।

3. महंगाई भत्ते के लिए किए जाने वाले भुगतान में शामिल 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए और 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।

4. ये दरें केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू हैं जिनका वेतन लोक उद्यम विभाग के दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.2006 से संशोधित कर दिया गया है।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,
भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-
1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. शासनिक मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार।
4. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग।

(समसुल हक)
अवर सचिव

No. W-02/0002/2014-DPE (WC)- GL-XX/17
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises

.....

Public Enterprises Bhawan
Block 14, CGO Complex,
Lodi Road, New Delhi-110003
Dated: 5th October, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Board level and below Board level posts including non-unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises (CPSEs)- Revision of scales of pay w.e.f. 01.01.2007 – Payment of IDA at revised rates-regarding.

*****

In modification of this Department's O.M. of even No. dated 04.07.2017, the rate of DA payable to the executives and non-unionized supervisors of CPSEs (2007 pay revision) is as follows:

(f) Date from which payable: *01.10.2017*

(g) Average AICPI (2001=100) for the quarter June'2017 – August' 2017

June, 2017	280
July, 2017	285
August, 2017	285
Average of the quarter	*283.33*

(h) Link Point: *126.33* (as on 01.01.2007)
(i) Increase over link point: 157 (283.33 minus 126.33)
(j) DA Rate w.e.f. 01.10.2017: 124.3% [(157 ÷126.33) x 100]

2. The above rate of DA i.e. 124.3% would be applicable in the case of IDA employees who have been allowed revised pay scales (2007) as per DPE O.M. dated 26.11.2008, 09.02.2009 & 02.04.2009.

3. All administrative Ministries/ Departments of the Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for necessary action at their end.

(Samsul Haque)
Under Secretary

To,

All the administrative Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:

6. Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
7. Financial Advisers in the Administrative Ministries/ Departments.
8. Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi.
9. The Comptroller & Auditor General of India, 9, Deen Dayal Upadhayay Marg, New Delhi.
10. NIC, DPE with the request to upload this OM on the DPE website.

(Samsul Haque)
Under Secretary

सं. डब्ल्यू 02/0002/2014-लोउवि(मजूरी कक्ष)-जी एल-XX/17

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक : 05 अक्तूबर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- **केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.2007 से संशोधन-संशोधित दरों पर औद्योगिक महंगाई भत्ते का भुगतान।**

*****

इस विभाग के दिनांक 04.07.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरें (2007 का वेतन संशोधन) निम्नप्रकारेण कर दी जाए:

(क) **जिस तारीख से देय है** : 01.10.2017

(ख) **जून, 2017- अगस्त, 2017 तिमाही का औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001 =100)**

जून, 2017	280
जुलाई, 2017	285
अगस्त, 2017	285
तिमाही का औसत	283.33

(ग) **मूल्य सूचकांक: 126.33 (दिनांक 01.01.2007 को)**

(घ) **मूल्य सूचकांक की तुलना में वृद्धि अंक : 157 (283.33-126.33)**

(ड.) **दिनांक 01-10-2017 से संशोधित महंगाई भत्ता दर: 124.3% [(157 ÷ 126.33) X 100]**

2. उपर्युक्त महंगाई भत्ता दर अर्थात 124.3% औद्योगिक महंगाई भत्ता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी जिनके मामले में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 तथा 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान (2007) की स्वीकृति दी गई है।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में लाएं।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,
भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।
प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-।। शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव

F. No. W-02/0003/2014-DPE (WC) – GL- XXIII/17
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises

.....

Public Enterprises Bhawan
Block 14, CGO Complex,
Lodi Road, New Delhi-110003
Dated: 6th October, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Payment of DA to Board level/below Board level executives and non-unionized supervisors following IDA scales of pay in Central Public Sector Enterprises (CPSEs) on 1987 and 1992 basis.

.....

The undersigned is directed to refer to para No. 3 of this Department's O.M. No. 2(50)/86-DPE (WC) dated 19.07.1995 wherein the rates of DA payable to the executives holding Board level post have been indicated. In accordance with the DA scheme spelt out in Annexure-II of the said O.M, the installments of DA become payable from 1st January, 1st April, 1st July, 1st October, every year based on the price increase above quarterly Index average of 1099 (1960=100).

2. In continuation of this Department's O.M. of even No. dated 04.07.2017, the rates of DA payable to the executives of CPSEs holding Board level post, below Board level post and Non-Unionized Supervisors following IDA pattern of 1992 pay scales may be modified as follows:-

(a) Date from which payable: 01.10.2017

(b) AICPI (Linked to 1960=100) for the quarter June'2017 – Aug.' 2017

June, 2017	6389
July, 2017	6508
Aug, 2017	6508
Average of the quarter	6468

(c) Increase over link point : 5369 (6468-1099)

(d) % increase over link point: 488.5% (5369/1099*100)

DA Rates for various Pay Ranges

Basic Pay per Month	DA Rates
Upto Rs. 3500	488.5% of pay subject to minimum of Rs. 10738/-
Above Rs 3500 and Upto Rs. 6500	366.4% of pay subject to minimum of Rs. 17098/-
Above Rs 6500 and Upto Rs. 9500	293.1% of pay subject to minimum of Rs. 23816/-
Above Rs 9500	244.2% of pay subject to minimum of Rs. 27845/-

3. The payment on account of dearness allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

4. The quantum of IDA payable from 01.10.2017 at the old system of neutralization @ Rs. 2.00 per point shift for increase of 153 points. may be Rs. 306/- and at AICPI 6468 DA payable may be Rs. 11525.75 to the executives holding Board level post. below Board level post and non-unionised supervisors following IDA pattern in the CPSEs of 1987 pay scales.

5. All administrative Ministries/Department of Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for necessary action at their end.

(Samsul Haque)
Under Secretary

To

All administrative Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:

1. The Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
2. Financial Advisers in the Administrative Ministries.
3. Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi.
4. The Comptroller & Auditor General of India, 9 Dean Dayal Upadhayay Marg, New Delhi.
5. NIC, DPE with the request to upload this OM on the DPE website.

(Samsul Haque)
Under Secretary

फा. सं. डब्ल्यू 02/0003/2014-लोउवि(मजूरी कक्ष)जी एल - XXIII/17

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक : 06 अक्तूबर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय सरकारी उद्यमों में वर्ष 1987 तथा वर्ष 1992 के आधार पर औद्योगिक महंगाई भत्ता वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के/उस स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते का भुगतान।

****

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19.7.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/86-लोउवि (मजूरी कक्ष) के पैरा 3 का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध-II में वर्णित महंगाई भत्ता योजना के अनुसार त्रैमासिक औसत सूचकांक 1099(1960=100) से अधिक मूल्यवृद्धि के आधार पर महंगाई भत्ते की किश्तें प्रति वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्तूबर से देय हो जाती हैं।

2. इस विभाग के दिनांक 04.07.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में वर्ष 1992 का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:-

(क) जिस तारीख से देय है : 01.10.2017

(ख) जून, 2017- अगस्त, 2017 तिमाही का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संबंधित 1960=100)

जून, 2017	6389
जुलाई, 2017	6508
अगस्त, 2017	6508
तिमाही का औसत	6468

(ग) मूल्य सूचकांक की तुलना में वृद्धि अंक : 5369 अंक (6468-1099)

(घ) मूल्य सूचकांक की तुलना में % वृद्धि: 488.5% (5369/1099*100)

विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए महंगाई भत्ते की दरें

मूल वेतन प्रतिमाह	महंगाई भत्ते की दर
3500/- रुपए तक	वेतन का 488.5% परन्तु न्यूनतम 10738/- रुपए
3500/- रुपए से अधिक तथा 6500/- रुपए तक	वेतन का 366.4% परन्तु न्यूनतम 17098/-रुपए
6500/-रुपए से अधिक तथा 9500/- रुपए तक	वेतन का 293.1% परन्तु न्यूनतम 23816/- रुपए
9500/- रुपए से अधिक	वेतन का 244.2% परन्तु न्यूनतम 27845/- रुपए

3. महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए तथा 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।

4. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में वर्ष 1987 का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के तथा इस स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को दिनांक 01.10.2017 से देय औद्योगिक मंहगाई भत्ते की राशि निष्प्रभावन की पुरानी प्रणाली के अनुसार 2.00 रुपए प्रति अंक की दर से 153 अंकों की वृद्धि के लिए 306/- रुपए तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6468 पर 11525.75 रुपए मंहगाई भत्ता देय होगा।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव